



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce and Industry)

Government of India)

Sugandha Bhavan

N.H. By-pass

P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन. एच. बाइपास

पी. बी. नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोचिन - 682 025, भारत

परिपत्र सं.01/2024-25

विषय: अनिवार्य नमूना चयन एवं परीक्षण कार्यक्रम के तहत होंगकोंग एवं सिंगपुर में निर्यात मसाला परेषणों के लिए ईटीओ परीक्षण का समावेश
संदर्भ: परिपत्र सं.24/2022-23 दिनांक 23 मार्च 2023

मसाला उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) संदूषण के संबंध में शंकाओं का समाधान हेतु एक सक्रिय उपाय के रूप में, मसाला बोर्ड ने मसाला उद्योग के परामर्श से सिंगपुर एवं होंगकोंग के लिए निर्यातित मसाला परेषणों में अनिवार्य ईटीओ परीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया।

सिंगपुर खाद्य अभिकरण के अनुसार मसालों में ईटीओ के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) 50 पीपीएम है, जबकि होंगकोंग में ईटीओ के लिए शून्य सहनशीलता है।

सिंगपुर एवं होंगकोंग में भेजे जाने वाले रेडी-टु-ईट (आरटीई) सहित सभी मसाला परेषणों के साथ स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी ईटीओ के लिए स्पष्ट विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन संलग्न की जाएगी।

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत, यह परिपत्र **6 मई 2024 से** लागू होगा जब तक कि इस संबंध में मसाला बोर्ड द्वारा अगली दिशानिर्देश/अनुदेश निर्धारित नहीं किए जाते।

ह.
निदेशक (विपणन)

सेवा में

1. मसालों एवं मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक/निर्यातक संघ
2. संपूर्ण भारत के सीमा शुल्क के सभी आयुक्त/पदधारी

प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित को भेजा जाए

1. श्री अरुण कुमार, उप निदेशक, वाणिज्य विभाग, एमओसीआई, नई दिल्ली- जानकारी हेतु
2. सभी प्रादेशिक कार्यालय / गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला - जानकारी एवं अनुपालन हेतु
3. उप निदेशक (ईडीपी)- स्पाइसेस बोर्ड के वेबसाइट पर डालने के लिए।

//मिसिल सं.न.प्र.ड-एसएस/03/0002/2019 कंप्यूटर सं. 15622 द्वारा जारी//